

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर
सेवा पर्व पखवाड़ा अन्तर्गत ग्रामीण सेवा शिविर

ग्राम पंचायत- भेडोला

प्रकरण संख्या- २२२/२५

दिनांक- ३/१०/२५

उपखण्ड

श्री जानकी पत्नी
स्व. सीताराम

बनाम सरकार जरिये तहसीलदार
चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर

:: आदेश ::



प्राथी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का भेडोला भू अ. नि. सायतारा एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट/अनुशंसा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम भेडोला पं० इ० भेडोला की वर्तमान स्थायी जमाबन्दी के खाता संख्या ५० में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
	नाम <u>शुद्ध</u>	<u>जानकी पत्नी स्व. सीताराम</u>	<u>जानकी पत्नी स्व. सीताराम</u>

ज.म.
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करें।
2. प्राथी श्री जानकी पत्नी स्व. सीताराम ।

ज.म.
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

